

5

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY,  
PART II, SECTION 3(1i) DATED 7TH JANUARY, 1982.

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 7th January, 1982.

NOTIFICATION

S.O. 11 (E) .- In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrator of every Union territory (whether known as Administrator, Chief Commissioner or Lt. Governor) shall, subject to the control of the President and until further orders, exercise the powers of the Central Government under section 3, section 8 or section 9 of the Essential Services Maintenance Act, 1981 (40 of 1981) in relation to :-

- (i) any service in, or in connection with the working of, any system of public conservancy, sanitation or water supply, hospitals or dispensaries in the Union territory;
- (ii) any service in any establishment or undertaking dealing with the production, supply or distribution of power in the Union territory;
- (iii) any service in connection with the affairs of the Union territory.

[ No. U-11030/2/81- UTL ] 7



( R.V. PILLAI )

JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

To

The General Manager,  
Government of India Press,  
Mayapuri Industrial Area,  
Ring Road,  
New Delhi.

16  
भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3 § 111, तारीख  
7 जनवरी, 1982 में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 7 जनवरी, 1982

अधिसूचना

का०आ० 11 (अ) राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद  
239 के खंड § 11 के अनुसरण में निदेश देते हैं कि प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र  
का प्रशासक चाहे उसका नाम प्रशासक, मुख्य आयुक्त या उपराज्यपाल  
के रूप में ज्ञात हो राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए और अगला  
आदेश होने तक निम्नलिखित के संबंध में आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981  
§ 1981 का 40 की धारा 3, धारा 8 या धारा 9 के अधीन केन्द्रीय  
सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेगा, अर्थात् :-

§ 11 संघ राज्य क्षेत्र में सार्वजनिक सफाई स्वच्छता या जल  
प्रदाय की किसी पुणाली, अस्पतालों या औषधालयों  
में या उसके कार्यकरण के संबंध में कोई सेवा ;

§ 111 संघ राज्यक्षेत्र में, शक्ति के उत्पादन, प्रदाय या वितरण  
से सम्बद्ध किसी स्थापना या उपक्रम में कोई सेवा ;

§ 1111 संघ राज्य क्षेत्र के कार्यकलाप के संबंध में कोई सेवा ;

§ सं० सू-11030/2/81-यू टी एल

आर० वी० पिल्ले

§ आर० वी० पिल्ले §

संयुक्त सचिव, भारत सरकार